माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

क्रमांक : मा.शि.बो./एसीए/व्यावसायिक शिक्षा/2016/ T-20 दिनांक 6-4-16

DD(A)
6/4

अधिसूचना

राज्य सरकार के पत्रांक : पं.4 (5) शिक्षा-1/2007 पार्ट जयपुर दिनांक 06.01.2016 द्वारा सूचित अनुसार माननीया मुख्यमंत्री महोदया द्वारा वर्ष 2014-15 के बजट घोषणा की पालना में (केन्द्र प्रवर्तित योजना) सत्र 2014-15 से राज्य के चयनित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा-9 से व्यावसायिक शिक्षा प्रारम्भ की गई। सत्र 2015-16 से दसवीं व लेवल-2 उत्तीर्ण विद्यार्थी सत्र 2016-17 से कक्षा-11 तथा सत्र 2017-18 से कक्षा-12 में व्यावसायिक विषय को ऐच्छिक विषय के रूप में चयन कर सकेंगे। निर्देशानुसार कक्षा-11 व 12 में व्यावसायिक विषय के अध्ययन की योजना निम्नानुसार होगी –

- व्यावसायिक शिक्षा विषयों को कला, वाणिज्य, विज्ञान व कृषि वर्ग के वैकल्पिक विषयों की सूची में रखा जाए। इनमें से विद्यार्थी व्यावसायिक विषय का तीसरे ऐच्छिक विषय के रूप में चयन कर सकेंगे।
- विद्यार्थी वाणिज्य वर्ग में लेखाशास्त्र व व्यवसाय अध्ययन के साथ तृतीय ऐच्छिक विषय के रूप में व्यावसायिक विषय का चयन कर सकेंगे।
- विद्यार्थी विज्ञान वर्ग में भौतिक विज्ञान व रसायन विज्ञान के साथ तृतीय ऐच्छिक विषय के रूप में व्यावसायिक विषय का चयन कर सकेंगे।
- विद्यार्थी कृषि वर्ग में कृषि विज्ञान, जीव विज्ञान के साथ तृतीय ऐच्छिक विषय के रूप में व्यावसायिक विषय का चयन कर सकेंगे।

अतः राज्य सरकार द्वारा चयनित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी जिन्होंने कक्षा-10 के साथ व्यावसायिक ट्रेड विषय की परीक्षा भी उत्तीर्ण की है, इस ट्रेड विषय का अध्ययन कक्षा-11 व 12 में भी उपरोक्तानुसार जारी रख सकेंगे।

6/4/16
(मेघना चौधरी)
सचिव

क्रमांक : मा.शि.बो./एसीए/व्यावसायिक शिक्षा/2016/ T-21 to 28 दिनांक 6-4-16

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. शिक्षा सचिव (माध्यमिक) स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयुपर।
2. राज्य परियोजना निदेशक, रा.मा.शिक्षा परिषद, शिक्षा संकुल, जयपुर।
3. उप सचिव शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
5. सचिव, राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल, जयपुर।
6. समस्त उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान।
7. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, (माध्यमिक) राजस्थान।
8. समस्त अधिकारी मा.शि.बोर्ड राज., अजमेर
9. रक्षित पत्रावली।

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद
जयपुर
06 APR 2016

सचिव

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

क्रमांक : मा.शि.बो./एसीए/व्यावसायिक शिक्षा/2015/3103 दिनांक 4/6/2015

संशोधित अधिसूचना (द्वितीय)

राज्य सरकार के पत्रांक : प. 4 (5) शिक्षा–1/2007 पार्ट दिनांक 21.04.2015 द्वारा निर्देशानुसार चयनित राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षण सत्र 2014–15 से कक्षा–9 व 10 के विद्यार्थियों हेतु व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम लागू किये जाने के संबंध में इस कार्यालय द्वारा जारी संशोधित अधिसूचना मा.शि.बो./एसीए/व्यावसायिक शिक्षा/2014/टी–1322085 दिनांक 08.12.2014 को निरस्त करते हुए संशोधित व्यवस्थाएँ निम्नानुसार होंगी :–

1. शिक्षण सत्र 2014–15 से चयनित विद्यालयों में कक्षा–9 में व्यावसायिक शिक्षा प्रारंभ होने के साथ, यह कक्षा–10 में शिक्षण सत्र 2015–16 से लागू होगी। इस विषय को अतिरिक्त विषय के रूप में अध्यापन यथावत जारी रहेगा, जिसके लिए विद्यालय के समय विभाग चक्र में प्रति सप्ताह 6 अतिरिक्त कालांश की व्यवस्था भी जारी रहेगी।
2. कक्षा–9 व 10 स्तर की व्यावसायिक शिक्षा विषय की परीक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित की जाकर इस परीक्षा के लिए अलग से प्रमाण पत्र भी जारी किया जाएगा। इन दोनों परीक्षाओं में 20 अंक सत्रांक, 50 अंक प्रायोगिक परीक्षा और 30 अंक सैद्धान्तिक परीक्षा हेतु यथावत निर्धारित होंगे। प्रायोगिक परीक्षा और सैद्धान्तिक परीक्षा (सत्रांक रहित) में पृथक–पृथक उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
3. विद्यालय स्तर पर कक्षा–9 की अंकतालिका में प्रति विषय पूर्णांक 200 होने से कक्षा–9 के व्यावसायिक शिक्षा विषय में बोर्ड द्वारा प्रदत्त पूर्णांक 100 आधारित प्राप्तांक को अनुपातिक रूप से दुगना कर विद्यालय अंकतालिका में शामिल किया जाएगा। उत्तीर्णता प्रतिशत विद्यालयी परीक्षा अनुरूप होगा।
4. विद्यालय स्तर की कक्षा–9 परीक्षा और बोर्ड स्तर की कक्षा–10 परीक्षा के परिणाम में यदि व्यावसायिक शिक्षा विषय के प्राप्तांक सामाजिक विज्ञान विषय के प्राप्तांक से अधिक हैं और परीक्षार्थी ने इन दोनों विषयों में न्यूनतम उत्तीर्णांक या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं तो ऐसी स्थिति में सामाजिक विज्ञान के स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा को 6 विषयों में शामिल करते हुए परिणाम जारी किया जाएगा।
5. राज्य के व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम हेतु चयनित विद्यालयों में Pandit Sunder Lal Sharma Central Institute of Vocational Education (PSSCIVE) भोपाल द्वारा सम्बंधित व्यवसाय का अनुमोदित पाठ्यक्रम यथावत लागू होगा।

(मेघना चौधरी)
सचिव

क्रमांक : मा.शि.बो./एसीए/व्यावसायिक शिक्षा/2015/3104–3158 दिनांक 4/6/2015

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. शिक्षा सचिव (माध्यमिक) स्कूल शिक्षा विभाग शासन सचिवालय, जयपुर।
2. राज्य परियोजना निदेशक, रा.मा.शिक्षा परिषद, शिक्षा संकुल, जयपुर।
3. उप सचिव शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
5. सचिव, राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल, जयपुर।
6. समस्त उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान।
7. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, (माध्यमिक) राजस्थान।
8. समस्त अधिकारी मा.शि.बोर्ड राज., अजमेर।
9. रक्षित पत्रावली।

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद
जयपुर
08 JUN 2015
पत्र प्राप्ति
क्रमांक 8336

सचिव